

कार्यालय-कलेक्टर/जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश

परियोजना का नाम-उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

1.	वाद संख्या	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना-रुद्रप्रयाग- 02(2)/2019-20,
2.	ग्राम	खांकरा
3.	तहसील	रुद्रप्रयाग
4.	जिला	रुद्रप्रयाग
5.	अध्याप्ति निकाय का नाम	भारतीय रेल (भारत सरकार) की ओर से मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड
6.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना का निर्माण हेतु।
7.	परियोजना का नाम	रेल विकास निगम लि०, भारतीय रेलवे, भारत सरकार का उपक्रम
8.	क्षेत्रफल (1) प्रकाशित (2) अर्जित (3) अन्तर	0.0240 है० (वर्ग मी० में) 0.0240 है० (वर्ग मी० में) छपस
9.	अर्जन भूमि का प्रकार- (क) कृषि भूमि (ख) आवासीय भूमि (ग) व्यवसायिक भूमि	0.0240 है० छपस छपस
10.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 तथा देहरादून, उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना	गजट में प्रकाशन का विवरण 1. धारा-11 दिनांक 05 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित 2.दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन 1. दैनिक जागरण- 08.12.2016 2. अमर उजाला- 08.12.2016

11.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की कार्यवाही	संख्या 794 / गटप्प,3द्व2017.02;62द्व2017 दिनांक 10 नवम्बर 2017 से जारी गजट में प्रकाशन 1. दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का विवरण ॐ हिन्दुस्तान- 03.12.2017 ॐ दैनिक जागरण- 08.12.2017
12.	भूमि का कब्जा दिनांक	अधिनिर्णय की तिथि से
13	प्रतिकर का निर्धारण- प्रतिकर की दर प्रति हेक्टेयर	(क) कृषि - रु0 59,85,000.00 प्रति है अर्थात रु0 598.50 प्रतिवर्गमी0 (ख) अकृषि - रु0 68,30,000.00 प्रति है0 अर्थात रु0 683.00 प्रति वर्ग मी0
14.	घोषित अधिनिर्णय की धनराशि (मय चल/अचल सम्पत्ति सहित)	रु0 5,81,171.00
15.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का एक गुना	रु0 1,43,640.00
16	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का दो गुना	रु0 2,87,280.00
17	अधिनियम की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	रु0 2,87,280.00
18.	भूमि पर स्थित निर्माण कार्य भवन, संरचना की प्रतिकर की धनराशि	छपसस
19.	भूमि पर स्थित फलदार /गैर फलदार पेड़ों की प्रतिकर की धनराशि	छपसस
20.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	छपसस
21.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(3) के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय अतिरिक्त राशि (दिनांक: 14.05.2019 से 01.10.2019) तक कुल दिन 140	रु0 6,611.00
22.	कुल देय प्रतिकर की धनराशि	रु0 5,81,171.00

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या- 2004/डब्ल्यू-1 रेविनिलि/15/पीटी1 नई दिल्ली दिनांक: 05.09.2011 द्वारा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की घोषणा की

गई। तथा भारत का राजपत्र संख्या 448 नई दिल्ली दिनांक-25.02.2014 द्वारा उक्त परियोजना को लोक प्रयोजन के लिये उत्तराखण्ड राज्य में अवसंरचना उपबंधित कराने के लिये विषेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया। भारत सरकार के संस्थान रेल विकास निगम लिमिटेड मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु जिला-रुद्रप्रयाग के 10 ग्रामों (देजीमाण्डा, खांकरा, नरकोटा, पुनाड़, तिलणी, सुमेरपुर, रतूडा, मरोडा, मवांणा और नगरासू) की कुल 23.4540 है० भूमि अर्जन के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि अर्जन का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सभी प्रस्तावों को वाद दर्ज किया गया, प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उक्त रेल मार्ग से 5 जिले, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली का बहुमुखी विकास होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रेल लाईन के निर्माण होने से सीमान्त क्षेत्र पहुंचना आसान हो जायेगा, तथा पर्यटन की दृष्टि से चार धाम यात्रा भी सुगम हो जायेगी। तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम-खांकरा में कुल नाप भूमि 2.185 है० अर्जन के अधीन अर्जित की गयी है, अर्जन भूमि के अतिरिक्त समरेखण के अन्तर्गत 01 खसरा का क्षेत्रफल 0.024 है० छूट जाने के कारण अनुपूरक अर्जन की कार्यवाही की गयी है।

इस प्रकरण में रकवा 0.024 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसकी सर्किल रेट से परस्पर गणना करने पर भूमि का मूल प्रतिकर धनराशि रु० 1,43,640-00 का दोगुना रु० 2,87,280-00 होता है जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है। इस भूमि पर कोई भी संरचनायें नहीं है। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि रु० 2,87,280-00 होती है जिस पर पहली अनुसूची के अनुसार शतप्रतिशत तोषण रु० 2,87,280-00 और देय है।

उक्त अधिनियम की धारा-30 की उपधारा-3 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रतिकर की मूल धनराशि पर उक्त अधिनियम के धारा- 04 के प्रकाशन की अन्तिम दिनांक से भूमि का अधिनिर्णय/कब्जा जो पहले हो तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि, भी देय है। जिस पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिनांक 13/02/2019 से 01/10/2019 तक कुल 230 दिन के लिए गणना की गयी है, रु० 6,611-00 प्रतिकर के साथ और देय है। इस प्रकार प्रतिकर, तोषण एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल प्रतिकर की धनराशि रु० 5,81,171-00 (रु० पांच लाख इक्यासी हजार एक सौ इकत्तर) जो प्रतिकर के रूप में देय है।

खसरा नम्बर 83 रकवा 0.024 है० भूमि पूर्व में खसरे के आधार पर धारा-11 की कार्यवाही उपरान्त खतौनी में खसरे का उल्लेख न होने के कारण अवार्ड में सम्मिलित नहीं था। प्रभावित कास्तकार द्वारा प-23 के माध्यम से खतौनी दिनांक 14.05.2019 को सही अंकित कराने पर प्रभावित कास्तकार के नाम प्रतिकर की धनराशि का अवार्ड तैयार किया गया है।

अतः ग्राम— खांकरा, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग में अर्जित की जा रही रकवा —0.024 है0 नाप भूमि का कुल प्रतिकर कुल रू0 5,81,171—00 (रू0 पांच लाख इक्यासी हजार एक सौ इकत्तर) एतद्द्वारा आज दिनांक 01.10.2019 को अनुपूरक अवॉर्ड घोषित किया जाता है।

मेरे इस अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि0 को उपलब्ध कराया जाय, तथा सर्व सम्बन्धित को सूचनार्थ उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर डाली जाय, साथ ही तहसील रुद्रप्रयाग में इस आशय से कि सम्बन्धित कास्तकारों को सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से नोटिस/सूचना देते हुए हस्ताक्षर लें एवं एक प्रति जिला कार्यालय में रखते हुए सूचनापट पर भी चस्पा करें, एवं सम्बन्धितों को सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचना विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध करायें।

दिनांक : 01.10.2019

**कलक्टर/जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।**

कार्यालय—कलेक्टर / जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश

परियोजना का नाम—उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

1.	वाद संख्या	ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना—रुद्रप्रयाग— 02(1) / 2019—20,
2.	ग्राम	खांकरा
3.	तहसील	रुद्रप्रयाग
4.	जिला	रुद्रप्रयाग
5.	अध्याप्ति निकाय का नाम	भारतीय रेल (भारत सरकार) की ओर से मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड
6.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	126 कि०मी० ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना का निर्माण हेतु।
7.	परियोजना का नाम	रेल विकास निगम लि०, भारतीय रेलवे, भारत सरकार का उपक्रम
8.	क्षेत्रफल (1) प्रकाशित (2) अर्जित (3) अन्तर	0.0380 है० (वर्ग मी० में) 0.0380 है० (वर्ग मी० में) Nil
9.	अर्जन भूमि का प्रकार— (क) कृषि भूमि (ख) आवासीय भूमि (ग) व्यवसायिक भूमि	0.0380 है० Nil Nil
10.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा—11 तथा देहरादून, उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना	गजट में प्रकाशन का विवरण 1. धारा—11 दिनांक 13 फरवरी 2019 को प्रकाशित 2.राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशन का दिनांक—22 फरवरी 2019

11.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की कार्यवाही	संख्या-441/XVIII(3)2019-02(62)2017 दिनांक-देहरादून, 21 जून, 2019 से जारी गजट में प्रकाशन
12.	भूमि का कब्जा दिनांक	अधिनिर्णय की तिथि से
13	प्रतिकर का निर्धारण- प्रतिकर की दर प्रति हेक्टेयर	(क) कृषि - रु0 59,85,000.00 प्रति है अर्थात रु0 598.50 प्रतिवर्गमी0 (ख) अकृषि - रु0 68,30,000.00 प्रति है0 अर्थात रु0 683.00 प्रति वर्ग मी0
14.	घोषित अधिनिर्णय की धनराशि (मय चल/अचल सम्पत्ति सहित)	रु0 9,26,917.00
15.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का एक गुना	रु0 2,27,430.00
16	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का दो गुना	रु0 4,54,860.00
17	अधिनियम की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	रु0 4,54,860.00
18.	भूमि पर स्थित निर्माण कार्य भवन, संरचना की प्रतिकर की धनराशि	Nil
19.	भूमि पर स्थित फलदार /गैर फलदार पेड़ों की प्रतिकर की धनराशि	Nil
20.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	Nil
21.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(3) के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय अतिरिक्त राशि (दिनांक: 13.02.2019 से 01.10.2019) तक कुल दिन 230	रु0 17,197.00
22.	कुल देय प्रतिकर की धनराशि	रु0 9,26,917.00

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या- 2004/डब्ल्यू-1 रेविनिलि/15/पीटी1 नई दिल्ली दिनांक: 05.09.2011 द्वारा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की घोषणा की गई। तथा भारत का राजपत्र संख्या 448 नई दिल्ली दिनांक-25.02.2014 द्वारा उक्त परियोजना को लोक प्रयोजन के लिये उत्तराखण्ड राज्य में अवसंरचना उपबंधित कराने के लिये विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया। भारत सरकार के संस्थान रेल विकास निगम लिमिटेड मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु जिला-रुद्रप्रयाग के 10 ग्रामों (देजीमाण्डा, खांकरा, नरकोटा, पुनाड़, तिलणी,

सुमेरपुर, रतूडा, मरोडा, मवांणा और नगरासू) की कुल 23.4540 है० भूमि अर्जन के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि अर्जन का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सभी प्रस्तावों को वाद दर्ज किया गया, प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उक्त रेल मार्ग से 5 जिले, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली का बहुमुखी विकास होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रेल लाईन के निर्माण होने से सीमान्त क्षेत्र पहुंचना आसान हो जायेगा, तथा पर्यटन की दृष्टि से चारधाम यात्रा भी सुगम हो जायेगी। तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम-खांकरा में कुल नाप भूमि 2.185 है० अर्जन के अधीन अर्जित की गयी है, अर्जन भूमि के अतिरिक्त समरेखण के अन्तर्गत 06 खसरों का क्षेत्रफल 0.038 है० अधिग्रहण से छूट जाने के कारण अनुपूरक अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकरण में रकवा 0.038 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसकी सर्किल रेट से परस्पर गणना करने पर भूमि का मूल प्रतिकर धनराशि रु० 2,27,430-00 का दोगुना रु० 4,54,860-00 होता है जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है। इस भूमि पर कोई भी संरचनायें नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि रु० 4,54,860-00 होती है जिस पर पहली अनुसूची के अनुसार शतप्रतिशत तोषण रु० 4,54,860-00 और देय है।

उक्त अधिनियम की धारा-30 की उपधारा-3 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रतिकर की मूल धनराशि पर उक्त अधिनियम के धारा- 04 के प्रकाशन की अन्तिम दिनांक से भूमि का अधिनिर्णय/कब्जा जो पहले हो तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि, भी देय है। जिस पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिनांक 13/02/2019 से 01/10/2019 तक कुल 230 दिन के लिए गणना की गयी है, रु० 17197-00 प्रतिकर के साथ और देय है। इस प्रकार प्रतिकर, तोषण एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल प्रतिकर की धनराशि रु० 9,26,917-00 (रु० नौ लाख छब्बीस हजार नौ सौ सत्रह) जो प्रतिकर के रूप में देय है।

दिनांक 13.02.2019 को अनुपूरक अर्जन खसरों के क्षेत्रफल 0.038 है० का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराया गया। दिनांक 22.02.2019 को धारा-11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त दिनांक 21.06.2019 को धारा-19 के अन्तर्गत अधिसूचना गजट में प्रकाशन कराया गया तत्पश्चात धारा-21 के अन्तर्गत नोटिस प्रभावित कास्तकारों को दिनांक-05.08.2019 को आपत्ति हेतु जारी किए गए ,नियत तिथि के अन्तर्गत कोई आपत्ति किसी भी प्रभावित कास्तकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः ग्राम- खांकरा, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग में अर्जित की जा रही रकवा – 0.038 है0 नाप भूमि का कुल प्रतिकर कुल रु0 9,26,917-00 (रु0 नौ लाख छब्बीस हजार नौ सौ सत्रह) एतद्द्वारा आज दिनांक 01.10.2019 को अनुपूरक अवॉर्ड घोषित किया जाता है।

मेरे इस अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि0 को उपलब्ध कराया जाय, तथा सर्व सम्बन्धित को सूचनार्थ उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर डाली जाय, साथ ही तहसील रुद्रप्रयाग में इस आशय से कि सम्बन्धित कास्तकारों को सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से नोटिस/सूचना देते हुए हस्ताक्षर लें एवं एक प्रति जिला कार्यालय में रखते हुए सूचनापट पर भी चस्पा करें, एवं सम्बन्धितों को सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचना विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध करायें।

दिनांक : 01.10.2019

**कलक्टर/जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।**

कार्यालय-कलेक्टर / जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश

परियोजना का नाम-उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

1.	वाद संख्या	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना-रुद्रप्रयाग- 06(1)/2019-20,
2.	ग्राम	सुमेरपुर
3.	तहसील	रुद्रप्रयाग
4.	जिला	रुद्रप्रयाग
5.	अध्याप्ति निकाय का नाम	भारतीय रेल (भारत सरकार) की ओर से मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड
6.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना का निर्माण हेतु।
7.	परियोजना का नाम	रेल विकास निगम लि०, भारतीय रेलवे, भारत सरकार का उपक्रम
8.	क्षेत्रफल (1) प्रकाशित (2) अर्जित (3) अन्तर	0.0200 है० (वर्ग मी० में) 0.0200 है० (वर्ग मी० में) Nil
9.	अर्जन भूमि का प्रकार- (क) कृषि भूमि (ख) आवासीय भूमि (ग) व्यवसायिक भूमि	0.0200 है० Nil Nil
10.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 तथा देहरादून, उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना	गजट में प्रकाशन का विवरण 1. धारा-11 दिनांक 13 फरवरी 2019 को प्रकाशित 2.राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशन का दिनांक-22 फरवरी 2019

11.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की कार्यवाही	संख्या-440/XVIII(3)2019-02(62)2017 दिनांक-देहरादून, 21 जून, 2019 से जारी गजट में प्रकाशन
12.	भूमि का कब्जा दिनांक	अधिनिर्णय की तिथि से
13.	प्रतिकर का निर्धारण- प्रतिकर की दर प्रति हेक्टेयर	(क) कृषि - रु0 104,66,000.00 प्रति है अर्थात रु0 1046.60 प्रतिवर्गमी0 (ख) अकृषि - रु0 1180.00 प्रति है0
14.	घोषित अधिनिर्णय की धनराशि (मय चल/अचल सम्पत्ति सहित)	रु0 8,63,368.00
15.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का एक गुना	रु0 2,09,320.00
16.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का दो गुना	रु0 4,18,640.00
17.	अधिनियम की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	रु0 4,18,640.00
18.	भूमि पर स्थित निर्माण कार्य भवन, संरचना की प्रतिकर की धनराशि	Nil
19.	भूमि पर स्थित फलदार /गैर फलदार पेड़ों की प्रतिकर की धनराशि	5,130.00
20.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	5,130.00
21.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(3) के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय अतिरिक्त राशि (दिनांक: 13.02.2019 से 01.10.2019) तक कुल दिन 230	रु0 15,828.00
22.	कुल देय प्रतिकर की धनराशि	रु0 8,63,368.00

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या- 2004/डब्ल्यू-1 रेविनिलि/15/पीटी1 नई दिल्ली दिनांक: 05.09.2011 द्वारा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की घोषणा की गई। तथा भारत का राजपत्र संख्या 448 नई दिल्ली दिनांक-25.02.2014 द्वारा उक्त परियोजना को लोक प्रयोजन के लिये उत्तराखण्ड राज्य में अवसंरचना उपबंधित कराने के लिये विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया। भारत सरकार के संस्थान रेल विकास निगम लिमिटेड मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु जिला-रुद्रप्रयाग के 10 ग्रामों

(देजीमाण्डा, खांकरा, नरकोटा, पुनाड़, तिलणी, सुमेरपुर, रतूडा, मरोडा, मवांणा और नगरासू) की कुल 23.4540 है० भूमि अर्जन के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि अर्जन का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सभी प्रस्तावों को वाद दर्ज किया गया, प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उक्त रेल मार्ग से 5 जिले, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली का चहुमुखी विकास होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रेल लाईन के निर्माण होने से सीमान्त क्षेत्र पहुंचना आसान हो जायेगा, तथा पर्यटन की दृष्टि से चार धाम यात्रा भी सुगम हो जायेगी। तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम—सुमेरपुर में कुल नाप भूमि 5.966 है० अर्जन के अधीन अर्जित की गयी है, अर्जन भूमि के अतिरिक्त समरेखण के अन्तर्गत 01 खसरे का क्षेत्रफल 0.020 है० अधिग्रहण से छूट जाने के कारण अनुपूरक अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकरण में रकवा 0.020 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसकी सर्किल रेट से परस्पर गणना करने पर भूमि का मूल प्रतिकर धनराशि रु० 2,09,320—00 का दोगुना रु० 4,18,640—00 होता है जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि रु० 4,18,640—00 होती है जिस पर पहली अनुसूची के अनुसार शतप्रतिशत तोषण रु० 4,18,640—00 और देय है। अर्जित भूमि पर स्थित फलदार व गैर फलदार वृक्षों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया गया इस प्रकार भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्य रु० 5,3130—00 का दो गुना रु० 10,260—00 बनता है इस भूमि पर कोई भी संरचनायें नहीं है।

उक्त अधिनियम की धारा—30 की उपधारा—3 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रतिकर की मूल धनराशि पर उक्त अधिनियम के धारा— 04 के प्रकाशन की अन्तिम दिनांक से भूमि का अधिनिर्णय/कब्जा जो पहले हो तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि, भी देय है। जिस पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिनांक 13/02/2019 से 01/10/2019 तक कुल 230 दिन के लिए गणना की गयी है, रु० 15,828—00 प्रतिकर के साथ और देय है। इस प्रकार प्रतिकर, तोषण सहित एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल प्रतिकर की धनराशि रु० 8,63,368—00 (रु० आठ लाख तिरेसठ हजार तीन सौ अड़सठ) जो प्रतिकर के रूप में देय है।

दिनांक 13.02.2019 को अनुपूरक खसरों अर्जन के क्षेत्रफल 0.020 है० का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराया गया। दिनांक 22.02.2019 को धारा—11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त दिनांक 21.06.2019 को धारा—19 के अन्तर्गत अधिसूचना गजट में प्रकाशन कराया गया, तत्पश्चात धारा—21 के अन्तर्गत नोटिस प्रभावित

कास्तकारों को 05.08.2019 को आपत्ति हेतु जारी किए गए, नियत तिथि के अन्दर कोई आपत्ति किसी भी प्रभावित कास्तकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः अतः ग्राम— खांकरा, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग में अर्जित की जा रही रकवा — 0.020 है0 नाप भूमि का कुल प्रतिकर कुल रु0 8,63,368—00 (रु0 आठ लाख तिरेसठ हजार तीन सौ अड़सठ) एतद्द्वारा आज दिनांक 01.10.2019 को अनुपूरक अवॉर्ड घोषित किया जाता है।

मेरे इस अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि0 को उपलब्ध कराया जाय, तथा सर्व सम्बन्धित को सूचनार्थ उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर डाली जाय, साथ ही तहसील रुद्रप्रयाग में इस आशय से कि सम्बन्धित कास्तकारों को सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से नोटिस/सूचना देते हुए हस्ताक्षर लें एवं एक प्रति जिला कार्यालय में रखते हुए सूचनापट पर भी चस्पा करें, एवं सम्बन्धितों को सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचना विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध करायें।

दिनांक : 01.10.2019

**कलक्टर/जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।**

कार्यालय-कलेक्टर / जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश

परियोजना का नाम-उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

1.	वाद संख्या	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना-रुद्रप्रयाग- 03(1)/2019-20,
2.	ग्राम	नरकोटा
3.	तहसील	रुद्रप्रयाग
4.	जिला	रुद्रप्रयाग
5.	अध्याप्ति निकाय का नाम	भारतीय रेल (भारत सरकार) की ओर से मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड
6.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना का निर्माण हेतु।
7.	परियोजना का नाम	रेल विकास निगम लि०, भारतीय रेलवे, भारत सरकार का उपक्रम
8.	क्षेत्रफल (1) प्रकाशित (2) अर्जित (3) अन्तर	0.0290 है० (वर्ग मी० में) 0.0290 है० (वर्ग मी० में) Nil
9.	अर्जन भूमि का प्रकार- (क) कृषि भूमि (ख) आवासीय भूमि (ग) व्यवसायिक भूमि	0.0290 है० Nil Nil
10.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 तथा देहरादून, उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना	गजट में प्रकाशन का विवरण 1. धारा-11 दिनांक 13 फरवरी 2019 को प्रकाशित 2.राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशन का दिनांक-22 फरवरी 2019

11.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की कार्यवाही	संख्या-442/XVIII(3)2019-02(62)2017 दिनांक-देहरादून, 21 जून, 2019 से जारी गजट में प्रकाशन
12.	भूमि का कब्जा दिनांक	अधिनिर्णय की तिथि से
13.	प्रतिकर का निर्धारण- प्रतिकर की दर प्रति हेक्टेयर	(क) कृषि - रु० 65,84,000.00 प्रति है अर्थात रु० 658.40 प्रतिवर्गमी० (ख) अकृषि - रु० 751,00,000.00 प्रति है०
14.	घोषित अधिनिर्णय की धनराशि (मय चल/अचल सम्पत्ति सहित)	रु० 7,78,182.00
15.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का एक गुना	रु० 1,90,936.00
16.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का दो गुना	रु० 3,81,872.00
17.	अधिनियम की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	रु० 3,81,872.00
18.	भूमि पर स्थित निर्माण कार्य भवन, संरचना की प्रतिकर की धनराशि	Nil
19.	भूमि पर स्थित फलदार /गैर फलदार पेड़ों की प्रतिकर की धनराशि	Nil
20.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	Nil
21.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(3) के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय अतिरिक्त राशि (दिनांक: 13.02.2019 से 01.10.2019) तक कुल दिन 230	रु० 14,438.00
22.	कुल देय प्रतिकर की धनराशि	रु० 7,78,182.00

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या- 2004/डब्ल्यू-1 रेविनिलि/15/पीटी1 नई दिल्ली दिनांक: 05.09.2011 द्वारा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की घोषणा की गई। तथा भारत का राजपत्र संख्या 448 नई दिल्ली दिनांक-25.02.2014 द्वारा उक्त परियोजना को लोक प्रयोजन के लिये उत्तराखण्ड राज्य में अवसंरचना उपबंधित कराने के लिये विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया। भारत सरकार के संस्थान

रेल विकास निगम लिमिटेड मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु जिला-रुद्रप्रयाग के 10 ग्रामों (देजीमाण्डा, खांकरा, नरकोटा, पुनाड़, तिलणी, सुमेरपुर, रतूडा, मरोडा, मवांणा और नगरासू) की कुल 23.4540 है० भूमि अर्जन के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि अर्जन का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सभी प्रस्तावों को वाद दर्ज किया गया, प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उक्त रेल मार्ग से 5 जिले, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली का चहुमुखी विकास होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रेल लाईन के निर्माण होने से सीमान्त क्षेत्र पहुंचना आसान हो जायेगा, तथा पर्यटन की दृष्टि से चार धाम यात्रा भी सुगम हो जायेगी। तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम-नरकोटा में कुल नाप भूमि 1.939 है० अर्जन के अधीन अर्जित की गयी है, अर्जन भूमि के अतिरिक्त समरेखण के अन्तर्गत 01 खसरे का क्षेत्रफल 0.029 है० अधिग्रहण से छूट जाने के कारण अनुपूरक अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकरण में रकवा 0.029 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसकी सर्किल रेट से परस्पर गणना करने पर भूमि का मूल प्रतिकर धनराशि रु० 1,90,936-00 का दोगुना रु० 3,81,872-00 होता है जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है। इस भूमि पर कोई भी संरचनायें नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि रु० 3,81,872-00 होती है जिस पर पहली अनुसूची के अनुसार शतप्रतिशत तोषण रु० 3,81,872-00 और देय है।

उक्त अधिनियम की धारा-30 की उपधारा-3 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रतिकर की मूल धनराशि पर उक्त अधिनियम के धारा-04 के प्रकाशन की अन्तिम दिनांक से भूमि का अधिनिर्णय/कब्जा जो पहले हो तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि, भी देय है। जिस पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिनांक 13/02/2019 से 01/10/2019 तक कुल 230 दिन के लिए गणना की गयी है, रु० 14,438-00 प्रतिकर के साथ और देय है। इस प्रकार प्रतिकर, तोषण एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल प्रतिकर की धनराशि रु० 7,78,182-00 (रु० सात लाख अठत्तर एक सौ बय्यासी) जो प्रतिकर के रूप में देय है।

दिनांक 13.02.2019 को अनुपूरक अर्जन खसरे के क्षेत्रफल 0.029 है० का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराया गया। दिनांक 22.02.2019 को धारा-11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त दिनांक 21.06.2019 को धारा-19 के अन्तर्गत अधिसूचना गजट में प्रकाशन कराया गया, तत्पश्चात धारा-21 के नोटिस प्रभावित कास्तकारों को दिनांक 05.08.2019 को आपत्ति हेतु जारी किए गए, नियत तिथि के अन्दर कोई आपत्ति किसी भी प्रभावित कास्तकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः ग्राम- नरकोटा, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग में अर्जित की जा रही रकवा-0.020 है० नाप भूमि का कुल प्रतिकर कुल रु० 7,78,182-00 (रु० सात लाख अठत्तर एक सौ बय्यासी) एतद्द्वारा आज दिनांक 01.10.2019 को अनुपूरक अर्वाॉर्ड घोषित किया जाता है।

मेरे इस अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि० को उपलब्ध कराया जाय, तथा सर्व सम्बन्धित को सूचनार्थ उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर डाली जाय, साथ ही तहसील रुद्रप्रयाग में इस आशय से कि सम्बन्धित कास्तकारों को

सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से नोटिस/सूचना देते हुए हस्ताक्षर लें एवं एक प्रति जिला कार्यालय में रखते हुए सूचनापट पर भी चस्पा करें, एवं सम्बन्धितों को सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचना विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध करायें।

दिनांक : 01.10.2019

कलक्टर/जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय-कलेक्टर / जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश

परियोजना का नाम-उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

1.	वाद संख्या	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना-रुद्रप्रयाग- 01(1)/2019-20,
2.	ग्राम	देजीमाण्डा
3.	तहसील	रुद्रप्रयाग
4.	जिला	रुद्रप्रयाग
5.	अध्याप्ति निकाय का नाम	भारतीय रेल (भारत सरकार) की ओर से मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड
6.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना का निर्माण हेतु।
7.	परियोजना का नाम	रेल विकास निगम लि०, भारतीय रेलवे, भारत सरकार का उपक्रम
8.	क्षेत्रफल (1) प्रकाशित (2) अर्जित (3) अन्तर	0.0870 है० (वर्ग मी० में) 0.0870 है० (वर्ग मी० में) Nil
9.	अर्जन भूमि का प्रकार- (क) कृषि भूमि (ख) आवासीय भूमि (ग) व्यवसायिक भूमि	0.0870 है० Nil Nil
10.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 तथा देहरादून, उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना	गजट में प्रकाशन का विवरण 1. धारा-11 दिनांक 13 फरवरी 2019 को प्रकाशित 2.राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशन का दिनांक-22 फरवरी 2019

11.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की कार्यवाही	संख्या-437/XVIII(3)2019-02(62)2017 दिनांक-देहरादून, 21 जून, 2019 से जारी गजट में प्रकाशन
12.	भूमि का कब्जा दिनांक	अधिनिर्णय की तिथि से
13.	प्रतिकर का निर्धारण- प्रतिकर की दर प्रति हेक्टेयर	(क) कृषि - रु0 59,85,000.00 प्रति है अर्थात रु0 598.50 प्रतिवर्गमी0 (ख) अकृषि - रु0 68,30,000.00 प्रति है0 अर्थात रु0 683.00 प्रति वर्ग मी0
14.	घोषित अधिनिर्णय की धनराशि (मय चल/अचल सम्पत्ति सहित)	रु0 21,22,153.00
15.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का एक गुना	रु0 5,20,695.00
16.	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का दो गुना	रु0 10,41,390.00
17.	अधिनियम की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	रु0 10,41,390.00
18.	भूमि पर स्थित निर्माण कार्य भवन, संरचना की प्रतिकर की धनराशि	Nil
19.	भूमि पर स्थित फलदार / गैर फलदार पेड़ों की प्रतिकर की धनराशि	Nil
20.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि	Nil
21.	अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा 30(3) के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय अतिरिक्त राशि (दिनांक: 13.02.2019 से 01.10.2019) तक कुल दिन 230	रु0 39,373.00
22.	कुल देय प्रतिकर की धनराशि	रु0 21,22,153.00

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या- 2004/डब्ल्यू-1 रेविनिलि/15/पीटी1 नई दिल्ली दिनांक: 05.09.2011 द्वारा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की घोषणा की गई। तथा भारत का राजपत्र संख्या 448 नई दिल्ली दिनांक-25.02.2014 द्वारा उक्त परियोजना को लोक प्रयोजन के लिये उत्तराखण्ड राज्य में अवसंरचना उपबंधित कराने के लिये विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया। भारत सरकार के संस्थान रेल विकास निगम लिमिटेड मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु जिला-रुद्रप्रयाग के 10 ग्रामों

(देजीमाण्डा, खांकरा, नरकोटा, पुनाड़, तिलणी, सुमेरपुर, रतूडा, मरोडा, मवांणा और नगरासू) की कुल 23.4540 है० भूमि अर्जन के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि अर्जन का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सभी प्रस्तावों को वाद दर्ज किया गया, प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उक्त रेल मार्ग से 5 जिले, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली का चहुमुखी विकास होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रेल लाईन के निर्माण होने से सीमान्त क्षेत्र पहुंचना आसान हो जायेगा, तथा पर्यटन की दृष्टि से चार धाम यात्रा भी सुगम हो जायेगी। तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम-देजीमाण्डा में कुल नाप भूमि 0.832 है० अर्जन के अधीन अर्जित की गयी है, अर्जन भूमि के अतिरिक्त समरेखण के अन्तर्गत 10 खसरों का क्षेत्रफल 0.087 है० अधिनिर्णय से छूट जाने के कारण अनुपूरक अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकरण में रकवा 0.087 है० भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसकी सर्किल रेट से परस्पर गणना करने पर भूमि का मूल प्रतिकर धनराशि रु० 5,20,695-00 का दोगुना रु० 10,41,390-00 होता है जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है। इस भूमि पर कोई भी संरचनायें नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि रु० 10,41,390-00 होती है जिस पर पहली अनुसूची के अनुसार शतप्रतिशत तोषण रु० 10,41,390-00 और देय है।

उक्त अधिनियम की धारा-30 की उपधारा-3 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रतिकर की मूल धनराशि पर उक्त अधिनियम के धारा- 04 के प्रकाशन की अन्तिम दिनांक से भूमि का अधिनिर्णय/कब्जा जो पहले हो तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि, भी देय है। जिस पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिनांक 13/02/2019 से 01/10/2019 तक कुल 230 दिन के लिए गणना की गयी है, रु० 39,373-00 प्रतिकर के साथ और देय है। इस प्रकार प्रतिकर, तोषण एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल प्रतिकर की धनराशि रु० 21,22,153-00 (रु० इक्कीस लाख बाईस हजार एक सौ तिरेपन) जो प्रतिकर के रूप में देय है।

दिनांक 13.02.2019 को अनुपूरक अर्जन खसरों के क्षेत्रफल 0.087 है० का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराया गया। दिनांक 22.02.2019 को धारा-11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त दिनांक 21.06.2019 को धारा-19 के अन्तर्गत अधिसूचना गजट में प्रकाशन कराया गया, तत्पश्चात धारा-21 के नोटिस प्रभावित कास्तकारों को दिनांक 05.08.2019 को आपत्ति हेतु जारी किए गए हैं, नियत तिथि अन्दर कोई आपत्ति किसी भी प्रभावित कास्तकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः ग्राम- देजीमाण्डा, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग में अर्जित की जा रही रकवा -0.087 है0 नाप भूमि का कुल प्रतिकर कुल रु0 21,22,153-00 (रु0 इक्कीस लाख बाईस हजार एक सौ तिरेपन) एतद्द्वारा आज दिनांक 01.10.2019 को अनुपूरक अवॉर्ड घोषित किया जाता है।

मेरे इस अनुपूरक अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि0 को उपलब्ध कराया जाय, तथा सर्व सम्बन्धित को सूचनार्थ उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर डाली जाय, साथ ही तहसील रुद्रप्रयाग में इस आशय से कि सम्बन्धित कास्तकारों को सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से नोटिस/सूचना देते हुए हस्ताक्षर लें एवं एक प्रति जिला कार्यालय में रखते हुए सूचनापट पर भी चस्पा करें, एवं सम्बन्धितों को सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचना विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध करायें।

दिनांक 01.10.2019

**कलक्टर/जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।**